(53)

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार**

**दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

सं. एफ / 02 / 07 / 2020 / एस.आई. / 53 दिनांक : 17.04.2020

**आदेश**

जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्तारक्षरी ने राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में 14 अप्रैल, 2020 को एक आदेश जारी किया था कि भारत सरकार द्वारा तालाबंदी की अवधि बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप ऐसे सभी आदेश जिनकी वैधता सिर्फ 14 अप्रैल, 2020 की मध्य रात्रि तक थी, अब 3 मई, 2020 की मध्य रात्रि तक या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, वैध रहेंगे।

और जबकि, जनता की परेशानियों को कम करने के लिए कुछ चुनी हुई अतिरिक्त0 गतिविधियों की इजाजत होगी, जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगी। लेकिन ये अतिरिक्त गतिविधियां तालाबंदी के उपायों पर मौजूदा दिशा–निर्देशों पर कड़ाई से अमल होने को ध्यापन में रख कर लागू की जाएंगी। इस छूट के लागू होने से पहले रा.रा. राज्ययक्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, फैक्टरियों और प्रतिष्ठानों में सोशल डिस्टें सिंग की तैयारियों से संबंधित सभी इंतजामों के साथ–साथ अन्यथ क्षेत्रीय आवश्यकताएं भी पूरी हों। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के संशोधित समेकित दिशा–निर्देश, जिनमें दिशा–निर्देशों में दी गयी छूट भी शामिल हैं, संलग्नं हैं।

और जबकि, ये संशोधित समेकित दिशानिर्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित इलाकों में लागू नहीं होंगे। अगर कोई नया इलाका कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा खास तौर पर स्वीकृत कुछ गतिविधियों को छोड़कर, उस इलाके में स्वीकृत अन्य सभी गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के अंतर्गत प्रदत्तग शक्तियों का उपयोग करते हुए अधोहस्तााक्षरी राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियत से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों को संलग्न संशोधित समेकित दिशा–निर्देशों पर कड़ाई से अमल के एतद द्वारा निर्देश देता है।

**(विजय देव)**
**मुख्य सचिव, दिल्ली**

सेवा में,

1. सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्याक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

2. पुलिस आयुक्त दिल्ली।

3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद।

4. प्रधान सचिव (सूचना और प्रचार) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में व्यावपक प्रचार के लिए।

5. आयुक्त (दक्षिण दिल्लीी नगर निगम/पूर्वी दिल्लीा नगर निगम/उत्तरी दिल्ली् नगर निगम)।

6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड।